

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S
मुकदमा नम्बर : 90/24 (वाद)
जीसीएमएस : 2024/206

उनवान

- श्री बद्रीलाल पिता भीमशंकर ब्राह्मण निवासी घणोली तहसील मावली।

.....वादी

बनाम

- श्रीमती अनवरी बेगम पत्नी अब्दुल अजीज खान मुसलमान निवासी 45-46 अलीपुरा उदयपुर तहसील गिर्वा।
- पटवारी, पटवार हल्का नामरी तहसील मावली।
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
- उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.01.2025 को रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077-80 के खाता सं. 4 पर दर्ज आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

क्र सं.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अनवरी बेगम पत्नी अब्दुल अजीज खान जाति मुसलमान निवासी 45-46 अलीपुरा उदयपुर खातेदार	1149/1	0.2145	बीड	0.43
	योग	किता 1	0.2145	—	0.43
2	बद्रीलाल पिता भीमशंकर जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1149/2	0.2145	बीड	0.43
	योग	किता 1	0.2145	—	0.43
	कुल योग	किता 2	0.4290	—	086

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 10.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

